छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग
सिविल लाईन, जी.ई. रोड, रायपुर – 492001
दूरभाष क्र. –0771–4073555 फैक्सः 4073553

क्र. /या. क्र. 33/2009(एम)/2009/

स्वप्रेरित याचिका क्रमांक 33/2009(एम)

1. कार्यपालन यंत्री, (सं./सु.) संभाग–II,
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पावर वितरण कंपनी मर्यादित,

2. सहायक यंत्री (वितरण)
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पावर वितरण कंपनी मर्यादित, – उत्तरवादीगण

आदेश

(दिनांक 23.09.09)

सर्वश्री दुकालू केवट, हरिषंकर चौहान, पवित्र कसेर व कुमार साहेब ग्राम–सराईपाली, जिला– रायगढ़ द्वारा संयुक्त रूप से एक आवेदन विद्युत लोकपाल, रायपुर को प्रेषित करते हुए उसकी एक प्रति आयोग को भी प्रेषित की गई, जिसमें षिकायत की गई कि उपभोक्ता षिकायत निवारण फोरम, बिलासपुर, कैम्प–रायगढ़ द्वारा दिनांक 26/06/07 को पारित आदेष, जिसमें आवेदकों के बोर पम्प हेतु तुरन्त विद्युत कनेक्षन प्रदाय करने के आदेष दिये गये, का आदिनांक तक क्रियान्वयन सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नहीं किया गया। षिकायत की प्रति तत्कालीन छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल के सचिव को आयोग के पत्र क्रमांक 1127 दिनांक 20/08/07 को प्रेषित की गई जिसके संदर्भ में मुख्य अभियन्ता (संचा/संधा) द्वारा पत्र क्रमांक 2737 दिनांक 17/04/09 के माध्यम से सूचित किया गया कि आवेदकों को दिनांक 20/02/09 को विद्युत कनेक्षन प्रदाय कर दिया गया है। मुख्य इंजीनियर (सु. एवं सं.) के जबाव में पूर्ण विवरण नहीं होने के कारण एवं विद्युत कनेक्षन प्रदाय करने में लगभग दो वर्ष की अवधि लगने के कारण कार्यपालन इंजीनियर, छत्तीसगढ़ पॉवर डिस्ट्रीब्यूषन कम्पनी, रायगढ़ एवं सहायक यंत्री, वितरण केन्द्र कोण्डातराई, जिला–रायगढ़ के विरूद्ध विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 142 (2) के तहत एक स्व–प्रेरित याचिका क्रमांक 33/2009 पंजीकृत कर कारण बताओ नोटिस आयोग के पत्र क्रमांक 770 दिनांक 04/06/09 को जारी की गई। कार्यपालन इंजीनियर (संचा/संधा), रायगढ़ द्वारा उपरोक्त याचिका (पीटिषन) के जबाव में प्रस्तुत पत्र क्रमांक 946 दिनांक 23/06/09

के अनुसार पूर्व में श्री दुकालू केवट व अन्य तीन व्यक्तियों द्वारा दिनांक 01/06/07 को आवेदन जमा किया गया जिसका प्राक्कलन दिनांक 01/08/07 को स्वीकृत किया गया परन्तु अधिक लागत आने के कारण आवदेकों द्वारा अतिरिक्त राषि का भुगतान नहीं किया गया। उसी मध्य आवेदकों द्वारा आवेदन उपभोक्ता षिकायत निवारण फोरम, बिलासपुर में भी षिकायत दर्ज की गई जिसके तारतम्य में फोरम, बिलासपुर द्वारा यह निर्णय दिया गया कि जैसे ही परिवादी बोर पम्प हेतु सम्पूर्ण औपचारिकताएँ पूरा करते हैं उन्हें तुरन्त विद्युत बोर पम्प हेतु प्रदान किया जावे। पुनः श्री पवित्र कसेर का पम्प हेतु एक और आवेदन दिनांक 10/01/08 को प्राप्त होने पर पूर्व प्राक्कलन रदद् कर दिनांक 11/01/08 को पुनरीर्क्षित प्राक्कलन स्वीकृत किया गया एवं आवेदकों द्वारा राषि जमा करने एवं सम्भागीय कार्यालय से दिनांक 08/02/08 को अनुबंध स्वीकृत करने के पश्चात निर्माण सम्भाग द्वारा विस्तार कार्य दिनांक 31/03/08 को पूर्ण किया गया एवं सहायक इंजीनियर, कोण्डातराई द्वारा दिनांक 16/05/08 को आवेदकों को एक माह की नोटिस जारी की गई तथा 18/01/09 को आवेदकों द्वारा परीक्षण प्रपत्र प्रस्तुत करने के पश्चात दिनांक 20/02/09 को कनेक्षन प्रदान किया गया।

(2) उपरोक्त तथ्यों का अवलोकन करने पर यह दर्षित होता है कि दिनांक 10/01/08 को एक अतिरिक्त आवेदन पत्र प्राप्त होने के पश्चात त्वरित कार्यवाही कर दिनांक 31/03/08 को निर्माण कार्य पूर्ण कर दिया गया परन्तु सहायक इंजीनियर, कोण्डातराई द्वारा उसके लगभग डेढ़ माह बाद एक माह की नोटिस जारी की गई एवं उसके लगभग आठ माह पश्चात परीक्षण प्रपत्र प्राप्त होने पर कनेक्षन प्रदान किये गये। कार्यपालन इंजीनियर, रायगढ़ द्वारा यह नहीं बताया जा सका कि सहायक इंजीनियर, कोण्डातराई द्वारा एक माह की नोटिस देने तथा टेस्ट रिपोर्ट फार्म जारी करने में (जो कि दिनांक 12/05/08 को जारी किया गया दर्षित है) क्यों देर हुई, जबकि टेस्ट रिपोर्ट फार्म अनुबंध के समय ही दिया जा सकता था? चूँकि, ग्रामीण आवेदक विद्युत कनेक्षन प्राप्त करने की विभिन्न प्रक्रियाओं से अवगत नहीं होते व वितरण केन्द्र के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा उन्हें सही रूप से मार्गदर्षन नहीं करने से लोगों में निराषा एवं असंतोष की भावना पैदा होती है। कृषकों द्वारा वर्षा काल जो कि छत्तीसगढ़ में मुख्य कृषि काल है में कनेक्षन न लेकर उसके पश्चात टेस्ट रिपोर्ट

जमा करना समझ से परे है क्योंकि गत वर्ष (2008 में) प्रदेष के कई हिस्सों में औसत से कम वर्षा हुई थी। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि मैदानी अधिकारियों द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं का सही रूप से पालन नहीं किया जा रहा है जिसके कारण लोगों को विषेष कर ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत कनेक्षन प्राप्त करने में लोगों को कठिनाइयों का सामना करता है। अतः यह आवष्यक है कि वितरण कम्पनी अपने मैदानी क्षेत्रों के अधिकारियों को तत्संबंध में पुनः दिषा–निर्देष जारी करें तथा उच्चाधिकारी यह सुनिष्चित करें कि दिषा–निर्देष का सही–सही पालन किया जा रहा है।

(3) दिनांक 10/01/08 को आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् निर्धारित अवधि में विस्तार कार्य पूर्ण किये जाने को दृष्टिगत करते हुए आयोग अधिनियम की धारा 142 (2) के तहत कार्यवाही नहीं करते हुए प्रकरण को नस्तीबद्ध करने का आदेष देता है।

हस्ता./–
सदस्य

हस्ता./–
अध्यक्ष